



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28072021-228519
CG-DL-E-28072021-228519

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2747]
No. 2747]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 27, 2021/श्रावण 5, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, JULY 27, 2021/SRAVANA 5, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2021

का.आ. 2953(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गयी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट NH-74 (नया NH30) के कि.मी. 27.500 से कि.मी. 58.400 खंड बरेली - पीलीभीत - सितारगंज तक के भुखण्ड के संबंध में उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन हेतु उक्त अधिनियम के अधीन सक्षम प्राधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत करती है।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-NH-74 (नया NH30) तक की भूमिका अर्जन।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7
1	विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	उत्तर प्रदेश	पीलीभीत	अमरिया	1 हुसेन नगर

		NH30 के कि.मी. 27.5 से 58.4 तक				2 सहगवां नगरिया
--	--	---	--	--	--	-----------------

[फा. सं. 18001/2/2020/PIU-Brly/Volume-2]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th July, 2021

S.O. 2953(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby authorizes the officers mentioned in column (2) of the Schedule annexed here to as the competent authorities to perform the functions of such authorities under the said Act with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in respect of the stretch of land from K.m. 27.500 to K.m. 58.400 of the NH-74 (New NH30) stretch Bareilly - Pilibhit - Sitarganj for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation in the State of UTTAR PRADESH

SCHEDULE

Land acquisition on National Highway No. NH-74 (New NH30) in the State of UTTAR PRADESH.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village				
1	2	3	4	5	6	7				
1	Special Land Acquisition Officer	27.5KM To 58.4KM	UTTAR PRADESH	PILIBHIT	Amariya	<table><tr><td>1</td><td>Husain Nagar</td></tr><tr><td>2</td><td>Sahgawan Nagaria</td></tr></table>	1	Husain Nagar	2	Sahgawan Nagaria
1	Husain Nagar									
2	Sahgawan Nagaria									

[F. No. 18001/2/2020/PIU-Brly/Volume-2]

RAJESH GUPTA, Director